शिकागो का भेदभाव विरोधी कानून

नफ़रत में किए गए अपराध हमारे समुदाय और शहर की शांति भंग करते हैं जबकि, अलग-अलग संस्कृतियों की इज़्ज़त और तारीफ़ करना ही शिकागो को एक सफल पड़ोसी बनाता है। शिकागो शहर नफ़रत और कट्टरता के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है, और इसके सभी निवासियों की सहायता से, हम नफ़रत में की गई आपराधिक घटनाओं में कमी ला सकते हैं।

CCHR पर शिकागो के मानवाधिकार अध्यादेश और शिकागो फ़ेयर हाउसिंग अध्यादेश को बलपूर्वक लागू करने का उत्तरदयित्व है। CCHR शिकायतों की जांच यह तय करने के लिए करता है कि क्या संभावित भेदभाव हुआ है या नहीं. साथ ही, यह भेदभाव करने वालों को दंडित करने के लिए यह अपनी दबाव शक्तियों का उपयोग करता है। नफ़रत में किए गए अपराध के खिलाफ़ बने शहरी कानून के तहत एजेंसी उन लोगों की सहायता करती है जो इसके शिकार हुए हैं। साथ ही CCHR शिक्षा, बीच-बचाव, विधान निर्माण के सक्रिय कार्यक्रम चला कर कट्टरता को हतोत्साहित करने और विभिन्न समूह के लोगों को एक साथ लाने में कामयाब रहा है।

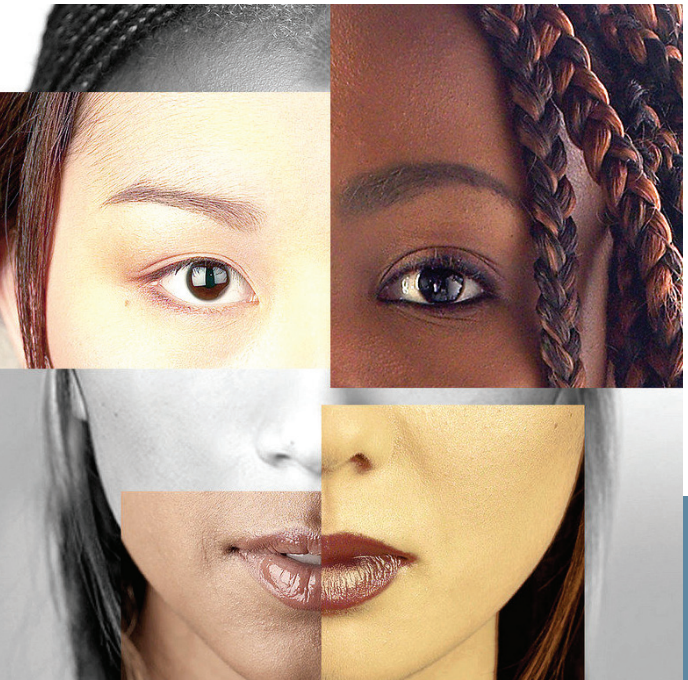

कमीश्नर मंडल

मोना नोरीगा, अध्यक्ष	रे जे. कोनिग, III
जोआना बोरोवीक	लीसा वाय. मोस्ले
रयान डयुनिगन	डेविड जे. म्युसाट
नादरह एच. इल्लाबदी	नबीला रशीद
बिशप साइमन गॉर्डन	जूलियो रोड्रिगेज
रोशेल ग्रीम्बो	मार्क ए. रोड्रिगेज
स्टेफ़नी ए कांतर	मिशेल शांग
रेयाद काज़मी	

हमसे संपर्क करें

मानव संबंध आयोग - शिकागो (Chicago Commission on Human Relations)
740 North Sedgwick Street, Suite 400
Chicago, Illinois 60654

मुख्य: (312) 744-4111
फ़ैक्स: (312) 744-1081
TTY: (312) 744-1088

ईमेल: cchr@cityofchicago.org
http://www.chicago.gov/humanrelations

शिकायत दर्ज करना

रोज़गार: (312) 744-4474
आवास: (312) 744-5879
सार्वजनिक आवास: (312) 744-5879
क्रेडिट: (312) 744-5879

परिषद

इक्विटी: (312) 744-2571
बुज़ुर्ग: (312) 746-8894

सामुदायिक तनाव: (312) 744-2571
नफ़रत में किए गए अपराध: (312) 744-4874
शिक्षा कार्यशालाएं: (312) 744-2571

"like" us on facebook

https://www.facebook.com/ChicagoCHR

नफ़रत में किए गए अपराधों को तुरंत बंद करो!

C|C|H|R
Chicago Commission on
HUMAN RELATIONS

लॉरी ई. लाइफ़ुट

नफ़रत में किए गए अपराध का क्या मतलब होता है?

नफ़रत में किए गए अपराधों में कट्टरता से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं और साथ ही, ये वास्तविक या कथित वंश, रंग, सम्प्रदाय, लिंग, जाति, धर्म, यौन अभिविन्यास, शारीरिक या मानसिक विकलांगता (HIV की स्थिति सहित) या राष्ट्रीय मूल के कारण प्रतिबद्ध होती हैं। नफरत संबंधी अपराध न केवल पीड़ित को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उस समूह को भी नुकसान पहुंचाता है जिसमें लक्षित सदस्य शामिल होता है।

नफ़रत में किए गए अपराधों का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब मारपीट, हमला, तेज़ हमला, संपत्ति को आपराधिक नुकसान, वाहन या वास्तविक संपत्ति पर आपराधिक अतिक्रमण, उपद्रवी कार्रवाई, लूटपाट, टेलिफ़ोन द्वारा प्रतारण या उत्पीड़न जैसे अपराध किए जाते हैं और इन कार्यों का उद्देश्य खास तौर पर नफ़रत फैलाना होता है।

विशेष रूप से, ये कथित अपराध अन्यथा दुराचार माने जाएंगे और कम दंड वाले होंगे। **हालांकि, पीड़ित के साथ नफ़रत में किया गया अपराध अक्सर दिल दहला देने वाला होता है और इसे अंजाम देने वाले वास्तविक या कथित समूह में शामिल लोगों के खिलाफ़ कानून सख्ती से पेश आता है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, जिसमें $25,000 तक का नागरिक दंड भी शामिल है।** अगर नफ़रत में अपराध करने वालों ने पूजा स्थलों, स्कूलों, कब्रिस्तान या उद्यानों में अपराध को अंजाम दिया है, तो उन्हें सज़ा के लिए अलावा अलग से शुल्क भी देना होगा।

CCHR कैसे सहायता कर सकता है?

पीड़ित की वकालत: CCHR, शिकागो पुलिस विभाग की नागरिक अधिकार इकाई और कुक काउंटी राज्य के अटार्नी कार्यालय के साथ मिलकर, नफ़रत में किए गए अपराध से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करता है। CCHR के स्टाफ़ और संबंधित समुदाय के स्वयंसेवक, अदालत की सुनवाई में पीड़ितों के साथ जाते हैं, नफ़रत में किए गए अपराध से पीड़ित लोगों से मिलने जाते हैं और सहायता सेवाएं देने वाली संस्थाओं के सुझाव देते हैं। इन सेवाओं में मानसिक और शारीरिक चोटों से होने वाली क्षति के लिए नागरिक कोर्ट में नफ़रत में अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए नि:स्वार्थ रूप से (मुफ़्त) कानूनी सहायता परामर्श शामिल हो सकता है।

शिक्षा: भेदभाव, नफ़रत में किए गए अपराध और समूहों के बीच चल रहे तनावों को रोकने और कम करने का मुख्य घटक शिक्षा है। CCHR स्कूलों, धार्मिक संस्थानों, युवा एजेंसियों, और सामुदायिक समूहों के लिए शिकागो मानवाधिकार और उचित आवास अध्यादेश, पक्षपात में कमी, नफ़रत में किए गए अपराध, डराने-धमकाने, और विकलांग लोगों के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने जैसे विषयों पर मानव संबंधों के बारे में विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और प्रस्तुतियां प्रस्तुत करता है। कार्यशाला के लिए अनुरोध करने या इन कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानने के लिए, CCHR से 312-744-2571 पर संपर्क करें।

अगर मुझे नफ़रत का शिकार बनाया जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ नफ़रत की वजह से गलत किया गया है, तो **तुरंत 911 पर कॉल करें और शिकागो पुलिस को घटना की जानकारी दें।** उन्हें विशेष रूप से बताएं कि आपको विश्वास है कि आप नफ़रत में किए जाने वाले अपराध के शिकार हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है! नफ़रत वाली घटना की शिकायत पुलिस से करने के बाद इस बात का फ़ैसला पुलिस ही करेगी कि वह नफ़रत में किया गया अपराध था या नहीं। उसके बाद, पुलिस विभाग इस घटना की जानकारी CCHR को देगी CCHR का स्टाफ़ मामले की जांच और सुनवाई के ज़रिए जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए पीड़ित से संपर्क करेगा।

नफ़रत में किए गए अपराधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, CCHR से (312) 744-4874 पर संपर्क करें।